बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग

–: संकल्प :–

वा0सं0नि0 (योजना) 09–17/2025–679 पटना, दिनांक–22/05/2026

विषयः– **बिहार में नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति के तहत नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों हेतु नॉन–स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटरग्लोब एविएसन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) से गयाजी–बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम 131 (झ) (त) के तहत परिशिष्ट–16 की कंडिका–3 के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding) के रूप में अधिकतम बारह माह हेतु ₹10,40,00,000/–(दस करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना और गया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया से नई अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर नॉन–स्टॉप हवाई संपर्कता बढ़ाने हेतु भारतीय विमानन कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) के तहत मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए '**नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति**' संकल्प संख्या–532 दिनांक–02.09.2025 द्वारा निर्गत है तथा पूर्व के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से पृथक सिविल विमानन विभाग के गठन के आलोक में नीति के कतिपय कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों में संकल्प संख्या–301 दिनांक–02.03.2026 के द्वारा संशोधन किया गया।

2. संकल्प संख्या–532, दिनांक– 02.09.2025 के अंतर्गत अनुमोदित कंडिका (4) "नीति रूपरेखा" के खंड (घ) "वित्तीय सहायता तंत्र" के उपखंड (ii) के अनुसार, व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding) के तहत मौद्रिक सहायता प्रारम्भिक रूप से छह माह की अवधि हेतु प्रदान की जाएगी। नीति की प्रभावशीलता तथा चयनित मार्ग के वाणिज्यिक प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर उक्त सहायता को अतिरिक्त छह माह की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जा सकेगा। साथ ही खंड (ठ) "न्यूनतम सेवा स्तर" के उपखंड (i) के अनुसार, प्रति सप्ताह न्यूनतम 2 दिन की सेवाएं और अधिकतम 7 दिन की सेवाएं प्रति मार्ग पर दिया जा सकता है।

3. '**नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति**' के प्रावधानों के तहत नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से नॉन–स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए सिविल विमानन विभाग द्वारा पत्रांक–406 दिनांक–25.03.2026 (शुद्धि पत्र संख्या–461 दिनांक– 08.04.2026 एवं 495 दिनांक–15.04.2026) के द्वारा निविदा आमंत्रित की

गई थी। नीति के प्रावधानों के आलोक में आमंत्रित निविदा में अंतर्राष्ट्रीय मार्गों हेतु वित्तीय सहायता (व्यवहार्यता अंतर निधि) की मात्रा निम्नानुसार रखी गयी :–

क्र.	मार्ग / विमान का प्रकार	प्रोत्साहन / वायबिलिटी गैप फंडिंग	प्रति वर्ष अधिकतम राशि
1.	पटना – काठमांडू (यात्री क्षमता : 150 यात्री)	प्रति राउंड ट्रिप ₹5,00,000 / –	365 X 5,00,000 = ₹18.25 करोड़
2.	पटना – काठमांडू (ATR-72 अथवा Q–400)	प्रति राउंड ट्रिप ₹2,50,000 / –	365 X 2,50,000 = ₹9.125 करोड़
3.	गया– काठमांडू (यात्री क्षमता : 150 यात्री)	प्रति राउंड ट्रिप ₹5,00,000 / –	365 X 5,00,000 = ₹18.25 करोड़
4.	गया– शारजाह (यात्री क्षमता : 150 यात्री)	प्रति राउंड ट्रिप ₹10,00,000 / –	365 X 10,00,000 = ₹36.5 करोड़
5.	गया– बैंकॉक (यात्री क्षमता : 150 यात्री)	प्रति राउंड ट्रिप ₹10,00,000 / –	365 X 10,00,000 = ₹36.5 करोड़
6.	गया– कोलंबो (यात्री क्षमता : 150 यात्री)	प्रति राउंड ट्रिप ₹10,00,000 / –	365 X 10,00,000 = ₹36.5 करोड़
7.	गया– सिंगापुर (यात्री क्षमता : 150 यात्री)	प्रति राउंड ट्रिप ₹10,00,000 / –	365 X 10,00,000 = ₹36.5 करोड़

4. आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटरग्लोब एविएसन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) द्वारा गया–बैंकॉक मार्ग हेतु एकल निविदा समर्पित किया गया है। समर्पित निविदा में प्रति सप्ताह 2 दिन की सेवाएं दिये जाने तथा प्रति राउंड ट्रिप ₹10,00,000 / –(दस लाख रूपये) मात्र की मांग की गयी है। इस प्रकार प्रथम छः माह के लिए ₹10,00,000 X 2 X 26 = ₹5,20,00,000 (पाँच करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र की राशि तथा अगले 6 महीनों के लिए नवीनीकृत किये जाने पर ₹5,20,00,000 (पाँच करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र की अतिरिक्त राशि अर्थात 1 वर्ष में अधिकतम ₹10,40,00,000 (दस करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की राशि व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding) के रूप में मेसर्स इंटरग्लोब एविएसन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) को भुगतान करना होगा।

5. नीति के नियमन, कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के अनुसार वित्तीय सहायता की राशि निर्धारित करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee) द्वारा निविदा के सभी शर्तों के अधीन मेसर्स

इंटरग्लोब एविएसन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) से गयाजी–बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को नामांकन के आधार पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की अनुशंसा किया गया।

6. उपरोक्त के आलोक में बिहार में नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति के तहत नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों हेतु नॉन–स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटरग्लोब एविएसन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) से गयाजी–बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम 131 (ज्ञ)(त) के तहत परिशिष्ट–16 की कंडिका–3 के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding) के रूप में अधिकतम 12 (बारह) माह हेतु ₹10,40,00,000/– (दस करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
7. इस व्यय का वहन राज्य स्कीम अन्तर्गत मांग संख्या–55 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय राज्ययोजना–02–विमानपत्तन–102–हवाई अड्डा–0103–हवाई अड्डे विपत्र कोड–55–5053021020103 विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य मद के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।
8. मेसर्स इंटरग्लोब एविएसन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) से गयाजी–बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को नामांकन के आधार पर चयन करने एवं व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding) के रूप में अधिकतम बारह माह हेतु ₹10,40,00,000/–(दस करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति **मंत्रिपरिषद की दिनांक** 20.05.2026 की बैठक में मद संख्या 12 के रूप में सम्मिलित किया गया है।
9. उपरोक्त वर्णित प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगें।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/5/26

सरकार के सचिव,
सिविल विमानन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– वा0सं0नि0 (योजना) 09–17/2025–679 पटना, दिनांक– 22/05/2026
प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० निलेश रामचन्द्र देवरे)
सचिव

ज्ञापांक :– वा0सं0नि0 (योजना) 09–17/2025–679 पटना, दिनांक– 22/05/2026
प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/अवर, सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग/आई0टी0 मैनेजर, सिविल विमानन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० निलेश रामचन्द्र देवरे)
सचिव